

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना (एक्ट-4)

[नियम 6 का उप-नियम (1)]

(a)	अधियाची विभाग	: कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और SIA द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	: गंगा जल उद्ववह योजना। मौजा-घोड़ा कटोरा थाना नं0-353 रकवा 349.72 एकड़ परियोजना की लम्बाई :- परियोजना का क्षेत्रफल 349.72 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 349.72 एकड़
(b)	SIA के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	: गंगा जल उद्ववह योजना परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	: हाँ
(d)	SIA के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (SIA प्रतिवेदन और SIMP) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	: (i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाईट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	: लागू नहीं।
(f)	राज्य SIA इकाई की सम्पर्क सूचना।	: इस परियोजना के लिए :- निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना।

ह0/-
समाहर्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक.....5A...../भू0अ0, दिनांक.....09...../.....01...../2020

प्रतिलिपि :- पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, गिरियक को सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर एवं अंचल अधिकारी, गिरियक को सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
नालन्दा।